उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

विविध वाद (Mise. Case) **04 / 2023–24**

सीताराम उरॉव

–बनाम–

सरकार

20.09.24

1. आवेदक श्री सीताराम उरॉव पिता–स्व0 रुपनारायण उरॉव के द्वारा मौजा–पुगू थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–66 खाता सं0–33 प्लॉट सं0–1829, रकबा–1.32 एकड़ खतियानी भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।
2. प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक 744 / विधि दिनांक 24.04.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, गुमला एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गुमला से वर्णित भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, गुमला के पत्रांक–562 दिनांक–03.05.2023 द्वारा समर्पित भूमि का जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा–पुगू थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–66 खाता सं0–33 प्लॉट सं0–1829 कुल रकबा–0.59 एकड़ खतियानी रैयत चमरा उराँव वल्द डेबले उरॉव वो चोरे उराँव वो मदु उराँव वो लोटगा उराँव पे0–एतवा उरॉव वो मोसमात लवरो उराईन जौजे–गन्दुरा उरॉव दर्ज है।
3. राजस्व पंजी ii के अनुसार Vol-VI पेज सं0–96 में खाता सं0–33 प्लॉट सं0–1892 रकबा–0.35 एकड़ भूमि तुनुआ उरॉव वगैरह चमरा उरॉव वगै0 दर्ज है। गुमला बाईपास सड़क निर्माण योजना अन्तर्गत प्लॉट सं0–1829 में 0.24 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण के पश्चात शेष 0.35 एकड़ भूमि तुनुआ उराँव वगैरह पेशरान चमरा उराँव वगैरह के नाम से Vol-VI पेज सं0–96 अवशेष है।
4. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गुमला के पत्रांक–626 / भू0अ0 दिनांक–16.09.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण गुमला बाईपास सड़क योजना वाद सं0–10 / 2011–12 के अन्तर्गत मौजा–पुगू के खाता सं0–33 प्लॉट सं0–1829 में रकबा–1.32 में से 0.24 एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है, एवं अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान सोमरा उरॉव, सीताराम उरॉव, हरिदास उराँव, मणीलाल तिर्की, कृष्णा तिर्की एवं सुबोध उराँव को किया गया है।
5. आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–पुगू थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–66 खाता सं0–33 प्लॉट सं0–1829 रकबा–0.59 एकड़ भूमि खतियान में दर्ज है।
6. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि मौजा–पुगू थाना सं0–66 जिला–गुमला के खाता सं0–33 प्लॉट सं0–1829 रकबा–0.59 में से 0.24 एकड़ भूमि बाईपास सडक निर्माण में अधिग्रहण के पश्चात 0.35 एकड़ भूमि शेष बचता है।
7. आवेदक के द्वारा NGDRS पोर्टल में लॉक भूमि को अनलॉक कराने का अनुरोध किया गया है।
8. निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड रॉची के अधिसूचना सं0–452 / नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 585 दिनांक 10.10.2019 के आलोक में NGDRS पोर्टल में सूचीबद्ध प्रतिबंधित भूमि की सूची से वर्णित भूमि को मुक्त करने के लिए सुनवाई हेतु आवेदक को नोटिस निर्गत की गई एवं उनके दावे से संबंधित वांछित दस्तावेज की

Scanned with OKEN Scanner

मांग की गई। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को आवेदक अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से भूमि से संबंधित दस्तावेज समर्पित किया गया है।

9. निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड रॉची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–585 दिनांक 10.10.2019 के आलोक में NGDRS पोर्टल में सूचीबद्व प्रतिबंधित भूमि की सूची के किसी प्लॉट को विशेष परिस्थिति में Genuine Reason के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया गया है।

आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों अंचल अधिकारी, गुमला के पत्रांक–562 दिनांक–03.05.2023, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक–626/भू0अ0 दिनांक–16.09.2023 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड रॉची के अधिसूचना सं0–452/नि0 दिनांक–07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–585 दिनांक 10.10.2019 के आलोक पर NGDRS पोर्टल में सूचीबद्व प्रतिबंधित भूमि की सूची में से मौजा–पुगू थाना–गुमला जिला–गुमला के थाना सं0–66 खाता–33 प्लॉट सं0–1829 रकबा–0.59 एकड़ भूमि में से 0.35 एकड़ भूमि को निम्नलिखित शर्तो के साथ मुक्त किया जाता है।

(क) आवेदक संबंधित भू–खण्ड पर अथवा भू–खण्ड के संबंध में ऐसा कोई भी कार्य नही करेगें जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किसी भी धारा अथवा झारखण्ड राज्य में प्रभावी किसी भी अधिनियम, परिनियम, नियमावली अथवा सरकारी निदेश के प्रतिकूल हो।

(ख) संबंधित भू–खण्ड पर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण (स्थायी अथवा अस्थायी) से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन से पूर्व जिला अवर निबंधक गुमला संतुष्ट हो लेंगें कि हस्तांतरण CNT Act.के प्रावधानों के अनुकूल हो तथा किसी भी नियम का उल्लंघन न हो।

(ग) भू–खण्ड के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है जो इंगित करती है कि संबंधित भू– खण्ड को प्रतिबंधित सूची में रखना ही नियम संगत हो तो वैसी स्थिति में इस आदेश को संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

(घ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर आदेश की समीक्षा की जा सकेगी।

(ड़) यदि भविष्य में यह संज्ञान में आता है कि आवेदको के द्वारा भू–खण्ड की प्राप्ति (खरीद/विरासत/अन्य) नियम संगत नही थी तो इस आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।

जिला अवर निबंधक, गुमला को निदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत 0.35 एकड़ भूमि का कय–बिकय/निबंधन के उपरान्त गुमला बाईपास सड़क निर्माण योजना के तहत् जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहित 0.24 एकड़ भूमि को कय–बिकय/निबंधन को रोकने हेतु पुनः NGDRS Portal में प्रतिबंधित भूमि की सूची में सूचीबद्व कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अंचल अधिकारी/जिला अवर निबंधक,गुमला एवं DPMU गुमला को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.06 15:36:19 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner